न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्या : 29/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO : 2024/29

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार धर्मावत पिता श्री कन्हैयालाल विक्रेता मैसर्स जयश्री एन्टर प्राईजेज 24, कृषि उपज मण्डी हिरणमगरी से0 11 उदयपुर । स्थाई पता म.न. 10, आनन्द विहार से. न. 4 उदयपुर। मो. 9414165789
2- श्री राम अवतार शर्मा (नोमिनी) मैसर्स Oyster Exim Private Limited, Survey No. 230/2, 232, 233/2, 234, Gram Siya, A.B.Road, Diwas, Dewas Madhya Pradesh 455001 स्थाई पता 2 अर्जुन नगर राधा गंज देवास म.प्र. मो. 9109540640 qa@purasure.com
3. निर्माता मैसर्स Oyster Exim Private Limited, Survey No. 230/2, 232, 233/2, 234, Gram Siya, A.B.Road, Diwas, Dewas Madhya Pradesh 455001 E-mail Info@purasure.com

—विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वंय विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28-06-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री जगदीश प्रसाद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 11.01.2024 को 3.00 पी.एम वास्ते चेकिंग मैसर्स जयश्री एन्टर प्राईजेज 24, कृषि

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

उपज मण्डी हिरणमगरी से0 11 उदयपुर पर पहूँचे, वहॉ विपक्षी श्री दिनेशकुमार धर्मावत उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स जयश्री एन्टर प्राईजेज 24, कृषि उपज मण्डी हिरणमगरी से0 11 का विक्रेता होना बताया।

निरीक्षण के समय उक्त गोदाम में देशी घी (प्योरा श्योर) एगमार्ग स्पेशल ग्रेड B.N-G324 M.F.D. 20/11/2023 EXp. 19/085/2024 Oyster Exim Private Limited अंकित के 450 ग्राम (500ML) के मुलतः कम्पनी सीलबन्द के (8X32)=250 पैकेट आम जनता को बिकी वास्ते रखा पाया। सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से 450 ग्राम (500ML) के 4 पैकेट मुलतः कम्पनी सीलबन्द वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा घी की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 980रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा घी को एफ.एस.एस.ए. के तहत नियमानुसार क्रय कर प्रत्येक मूल नमूने पर नियमानुसार लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए–2549 का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/819 दिनांक 06.02.2019 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/15/एक्ट/2024/15 दिनांक 19.01.2024 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 262.96 पाया गया।

विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/818 दिनांक 06.02.2024 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/2506 दिनांक 06.05.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त विक्रेता/मालिक का टर्नऑवर 12 लाख वार्षिक से अधिक है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय गोदाम में देशी घी (प्योरा श्योर) एगमार्ग स्पेशल ग्रेड B.N-G324 M.F.D. 20/11/2023 EXp. 19/085/2024 Oyster Exim Private Limited अंकित के 450 ग्राम (500ML) के मुलतः कम्पनी सीलबन्द के (8X32)=250 पैकेट आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से 450 ग्राम (500ML) के 4 पैकेट मुलतः कम्पनी सीलबन्द वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। **क्योंकि Saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 262.96 पाया गया।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि निर्माता फर्म एक सुप्रसिद्ध फर्म होकर पुरे भारत में इनके वृहद्ध स्तर पर उपभोक्ता है, जो इनके खाद्य पदार्थ प्योरा श्योर घी का उपभोक कर रहे है, ऐसी स्थिति में कम्पनी को चाहिए कह वह अपने खाद्व पदार्थ की गुणवत्ता का ध्यान रखकर निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप ही निर्माण/विक्रय करे। कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके विपक्षी आरोपी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹5,00,000/–रु अक्षरे पांच लाख रूपया मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर'' के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)